न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 19/ 2018 जिला सीकर

भारत भूषण पुत्र श्री बिहारी लाल, जाति मोची, निवासी वार्ड नं. 14, कस्बा व पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
2. मोती लाल उर्फ बबलू पुत्र श्री विश्वनाथ
3. सतपाल उर्फ सत्यनारायण पुत्र विश्वनाथ
4. इन्द्र कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ
   समस्त जाति मोची, निवासीगण वार्ड नम्बर 12, कस्बा लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील खिलाफ आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 14.9.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मोहन चौधरी
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 23.10.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 14.9.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 10.4.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि अपीलान्ट भारत भूषण पुत्र श्री बिहारी लाल खत्री ने एक प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को दिनांक 16.6.2016 को प्रस्तुत किया कि कस्बा लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर की सीमा में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 368 में बने कुऐ के आगे सारण की भूमि को राजस्व रेकार्ड के ट्रेस नक्शे में अंकित नहीं की गई है । अतः खसरा नम्बर 368 (कुए के आगे सारण) की भूमि को राजस्व रेकार्ड ट्रेस नक्शे में तरमीम की जावे ।

तहसीलदार लक्ष्मणगढ , जिला सीकर ने भारत भूषण अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्र क्रमांकः भू.अ./16/ 2961 दिनांक 6.9.2016 से उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की कि खसरा नम्बर 368 गैर मुमकीन चाह की नाल मय चौपडा का रकबा 0.01 हैक्टेयर बनता है जबकि उक्त खसरा नम्बर का रिकार्ड में रकबा 0.03 हैक्टेयर दर्ज है अर्थात शेष 0.02 हैक्टेयर रकबे का इन्द्राज कुए की सारण के रूप में वर्तमान नक्शा लठ्ठा में किया हुआ है । सम्भवतया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कुए के साथ सारण का अंकन नहीं कर त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत होता है जबकि राजस्व नक्शा लठ्ठा में कुआ मय सरण का अंकन बदस्तूर चला आ रहा है ।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर की उक्त अभिशंसा एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी संवत 2060–63 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के खाता संख्या 251 खातेदार टीकू, तिलोका पि. रामू हि. 1/2 , गोपी, मोटा व तुलसा पि. लादु हि. 1/2 जाति मोची ख.नं. 368 रकबा 0.03 है. गै.मु.चाह के स्थान पर मुताबिक राजस्व नक्शा लठ्ठा जमाबन्दी संवत 2060–63 खसरा नम्बर 368 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ जिला सीकर में खातेदार टीकू, तिलोका पि. रामू हि. 1/2, गोपी, मोटा व तुलसा पि. लादू हि. 1/2 जाति मोची रकबा 0.01 गै.मु.चाह व 0.02 गै.मु. सारण दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिनांक 14.9.2016 को पारित किये गये ।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 14.9.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 क प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 10.4.2018 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 14.9.2016 तथा तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा जारी पत्र क्रमांकः भू.अ./16/ 2961 दिनांक 6.9.2016 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर काबिज खातेदार अपीलान्ट व अन्य को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं दिया तथा मौके पर कब्जे की जॉच नहीं की तथा विधिवत प्रक्रिया अपनाये बिना ही केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है । उनका कहना था कि प्रकरण संख्या 141/1984 में उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.4.1986 के मुताबिक राजीनामा के अनुसार स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1195 दिनांक 23.5.86 की पुश्त पर नजरी नक्शा मौका मुताबिक सारण व गै.मु. चाह खसरा नम्बर 368 के अन्तर्गत दर्शित एवं अंकित किये है जिसके आधार पर खसरा नम्बर 368 का रकबा 3 बिस्वा अंकित है, परन्तु पूर्व नक्शा व मौके के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 368 का रकबा लगभग 7–8 बिस्वा है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 368 के सामने जो भूमि है वह सडक के सामने होने से बेशकीमती हो गई है इसलिये अप्रार्थीगण उप खण्ड अधिकारी व तहसीलदार से मिलकर खसरा नम्बर 368 के रकबे को नक्शे में 3 बिस्वा के स्थान पर 1 बिस्वा दर्ज करवाया है तथा खसरा नम्बर 369/2 व 369/1 के सामने दर्ज था जिसको केवल खसरा नम्बर 369/1 के सामने दर्शित कर दिया, जो सरासर गलत एवं गैर कानूनी है । उनका कहना था कि अपीलान्ट अपनी भूमि खसरा नम्बर 368 में निर्माण कार्य करवा रहा था तो रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के कुछ कर्मचारीगण दिनांक 14.3.2018 को मौके पर आये और निर्माण कार्य को रोकने बाबत कहा जिस पर अपीलान्ट ने कारण पूछा तो उन्होने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दी, जिस पर प्रमाणित नकल लेकर यह अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है । अतः विलम्ब को क्षमा कर गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ , जिला सीकर ने अपीलान्ट भारत भूषण के उक्त प्रार्थना पत्र पर जॉच की जाकर रिपोर्ट मय पत्रादियें के पत्र क्रमांकः भू.अ./16/2961 दिनांक 6.9.2016 से उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को भिजवाई थी कि खसरा नम्बर 368 गैर मुमकीन चाह की नाल मय चौपडा का रकबा 0.01 हैक्टेयर बनता है जबकि उक्त खसरा नम्बर का रिकार्ड में रकबा 0.03 हैक्टेयर दर्ज है अर्थात शेष 0.02 हैक्टेयर रकबे का इन्द्राज कुए की सारण के रूप में वर्तमान नक्शा लठ्ठा में किया हुआ है । सम्भवतया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कुए के साथ सारण का अंकन नहीं कर त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत होता है जबकि राजस्व नक्शा लठ्ठा में कुआ मय सारण का अंकन बदस्तूर चला आ रहा है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर की इस रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के आधार पर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने वर्तमान जमाबन्दी संवत 2060–63 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के खाता संख्या 251 खातेदार टीकू, तिलोका पि. रामू हि. 1/2 , गोपी, मोटा व तुलसा पि. लादु हि. 1/2 जाति मोची ख.नं. 368 रकबा 0.03 है. गै.मु.चाह के स्थान पर मुताबिक राजस्व नक्शा लठ्ठा जमाबन्दी संवत 2060–63 खसरा नम्बर 368 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ जिला सीकर में खातेदार टीकू, तिलोका पि. रामू हि. 1/2, गोपी, मोटा व तुलसा पि. लादू हि. 1/2 जाति मोची रकबा 0.01 गै.मु.चाह व 0.02 गै.मु. सारण दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिनांक 14.9.2016 को पारित किये गये है, जिनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । उनका कहना था कि यह अपील दिनांक 10.4.2018 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2016 के खिलाफ करीबन 2 साल के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है तथा विलम्ब का कारण भी उचित एवं संतोषजनक नहीं हैं । अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 14.9.2016 यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये एवं विलम्ब के संबंध मे लचिला रूख अपनाते हुये न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में अपीलान्ट भारत भूषण पुत्र श्री बिहारी लाल खत्री का प्रार्थना पत्र बाबत कस्बा लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर की सीमा में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 368 में बने कुऐ के आगे सारण की भूमि का राजस्व रेकार्ड के ट्रेस नक्शे में अंकित नहीं होने से खसरा नम्बर 368 (कुए के आगे सारण) की भूमि को राजस्व रेकार्ड ट्रेस नक्शे में तरमीम किये जाने पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ , जिला सीकर ने भारत भूषण अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्र क्रमांकः भू.अ./16/2961 दिनांक 6.9.2016 से उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की कि खसरा नम्बर 368 गैर मुमकीन चाह की नाल मय चौपडा का नकबा 0.01 हैक्टेयर बनता है जबकि उक्त खसरा नम्बर का रिकार्ड में रकबा 0.03 हैक्टेयर दर्ज है अर्थात शेष 0.02 हैक्टेयर रकबे का इन्द्राज कुए की सारण के रूप में वर्तमान नक्शा लठ्ठा में किया हुआ है । सम्भवतया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कुए के साथ सारण का अंकन नहीं कर त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत होता है कि राजस्व नक्शा लठ्ठा में कुआ मय सारण का अंकन बदस्तूर चला आ रहा है । उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर की उक्त अभिशंसा एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी संवत 2060–63 वाके कस्बा

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के खाता संख्या 251 खातेदार टीकू, तिलोका पि. रामू हि. 1/2 , गोपी, मोटा व तुलसा पि. लादु हि. 1/2 जाति मोची ख.नं. 368 रकबा 0.03 है. गै.मु. चाह के स्थान पर मुताबिक राजस्व नक्शा लठ्ठा जमाबन्दी संवत 2060–63 खसरा नम्बर 368 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ जिला सीकर में खातेदार टीकू, तिलोका पि. रामू हि. 1/2, गोपी, मोटा व तुलसा पि. लादू हि. 1/2 जाति मोची रकबा 0.01 गै.मु.चाह व 0.02 गै.मु. सारण दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिनांक 14.9.2016 को पारित किये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2016 अपीलान्ट को व अन्य प्रभावित खातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना केवल तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । हम समझते हैं कि पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की अपीलाधीन आदेश न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 14.9.2016 निरस्त किया जाता है तथा उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 23.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर